न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–40/2018/भीलवाड़ा (2018/00040)

1. श्रीमती स्नेहलता पत्नि जगदीश कुमार असवा, निवासी लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड़, भोपालगंज, भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. मोहम्मद हुसैन पुत्र मिठ्ठू नीलगर,
2. जाकीर हुसैन पुत्र मिठ्ठू नीलगर,
3. युसूफ पुत्र मिठ्ठू नीलगर,
4. मुबारिक हुसैन पुत्र चांद मोहम्मद नीलगर,
5. श्रीमती सलमा बानू पत्नि आजाद नीलगर,
6. आबिद पुत्र आजाद नीलगर,
7. फिरोज पुत्र आजाद नीलगर,
8. श्रीमती हिना पुत्री आजाद नीलगर,
9. शरीफ मौहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद नीलगर,
10. श्रीमती खातून बेवा चांद मोहम्मद नीलगर,
11. श्रीमती बिलगिस बानू पुत्री चांद मोहम्मद नीलगर,
    समस्त जाति नीलगर मुसलमान, निवासी पुर तहसील एवं भीलवाड़ा ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा दिनांक 14.03.2018 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 331/2017.

उपस्थितः–

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 अनुपस्थित ।
3. श्री बी0एस0 शेखावत, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 12.

निर्णय

दिनांक :– 28.11.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 ने अपीलांट के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्य 5985 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर, तह0 व जिला भीलवाड़ा में अवस्थित है जो रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 के नाम दर्ज रिकार्ड है । विपक्षीगण विवादित आराजी के पड़ौसी है । प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद होते रहते है । इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा ने निर्णय दिनांक 14.3.2018 को पारित कर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 बावजूद सूचना के अनपुस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व से विवादित आराजियात के संबंध में राजस्व वाद अंतर्गत नक्शा इंद्राज दुरूस्ती का अधी0न्याया0 में विचाराधीन है परन्तु इसके बावजूद रेस्पोडेंटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष सीमाज्ञान बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर पर बिना विवके का उपयोग किये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है । राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण राजस्व नक्शे में गलत तरमीम अंकित करने की आड़ में रेस्पो0 अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 5984 जिस पर अपीलांट काबिज काश्त है, को हड़पने की नियत से पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि के संबंध में मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना व दुरूस्ती का वाद विचाराधीन होने के बावजूद पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में सुल्तान मोहम्मद ने शफी मोहम्मद के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने निर्णय दिनाक 9.11.2010 द्वारा खारिज किया । उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 9.11.2010 के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में वादीगण सुल्तान मोहम्मद द्वारा अपील की गई जो निर्णय दिनांक 5.4. 2013 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर दिनांक 13.6.2017 को

विवादित भूमि बाबत् अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी जो वर्तमान में भी प्रभावी है । उक्त अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रभावी रहते अधी0न्याया0 पत्थरगढ़ी के आदेश पारित नहीं कर सकते थे । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे ।

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 5984 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा की खातेदार अपीलांट है तथा खसरा नंबर 5985 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा रेस्पोडेंटस के नाम दर्ज है । अपीलांट का कथन है कि अपीलांट खातेदारी खसरा नंबर 5984 पर काबिज काश्त है किन्तु भू–प्रबंध विभाग ने राजस्व नक्शा में गलत तरमीम कर अपीलांट जहां काबिज है वहां खसरा नंबर 5985 तरमीम कर दिया है जिसके संबंध में राजस्व नक्शे में दुरूस्ती बाबत् एक वाद अधी0न्याया0 में विचाराधीन है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 99/2010 चला था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने वादी सुल्तान मोहम्मद का वाद निर्णय दिनांक 9.11.2010 को खारिज किया था जिसके विरूद्ध वादी सुल्तान द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने निर्णय दिनांक 5.4.2013 वादी सुल्तान की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधी0न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), भीलवाड़ा के न्यायालय में मोहम्मद हुसैन द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 में विवादित आराजियात बाबत् सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 13.6.2017 को अपीलांट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है । उपरोक्त तथ्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् पक्षकारान के मध्य राजस्व वाद एवं राजस्व नक्शे में दुरूस्ती का वाद अधी0न्याया0 में विचाराधीन है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विवादित भूमि के संबंध में भौतिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है जो सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के प्रकरण में आवश्यक है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

1- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14. 03.2018 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 40/2018 (2018/00040) बउनवानी श्रीमती स्नहेलता बनाम मोहम्मद हुसैन व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 331/2017 बउनवान मोहम्मद हुसैन व अन्य बनाम श्रीमती स्नहेलता में पारित निर्णय दिनांक 14.3.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में भौतिक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 28.11.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.28 17:39:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: